न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—53/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/53)

1. श्री खीमसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह मृतक जरिए वारिसान—
   1/1 बाबुसिंह पुत्र स्व0 श्री खीमसिंह
2. श्री देवीसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह मृतक जरिए वारिसान—
   2/1 श्रीमती पानी देवी पत्नी स्व0 श्री देवी सिंह
   2/2 नन्दसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/3 मोखमसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/4 भगवतसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/5 लक्ष्मणसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/6 हनुमानसिंह पुत्र स्व0 श्री देवी सिंह
   2/7 सीता पुत्री स्व0 श्री देवी सिंह
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री हजारीसिंह
4. श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 श्री हजारीसिंह पत्नी श्री सुवा

समस्त जाति रावत निवासी गणेशपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी जीपीओ अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर राजस्व वाद संख्या 47/2020

उपस्थितः—

1. श्रीमती पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राकेश आरोडा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02

निर्णय

दिनांकः—22.02.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पूर्व खसरा संख्या 671 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के वादीगण के पिता श्री हजारी सिंह रावत

Scanned with CamScanner

पुत्र लालूसिंह रावत 2024 से 2027 में इस भूमि को हजारीसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, लेकिन मोतीसिंह पुत्र पन्ना सिंह ने गलती से एवं गैर कानूनी रूप से अपने आपको उपकृषक दर्ज करवा लिया जिसके हाल सेटलमेंट में विवादित भूमि हाल खसरा संख्या 798 में मोतीसिंह पुत्र पन्नासिंह को खातेदार मानकर जमाबंदी में अकेले का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि मोती का इस भूमि से कोई हक, अधिकार नहीं है, एवं वादीगण ही उनके पूर्वजों के समय से इस भूमि पर काबिज काश्त खातेदार दर्ज चले आ रहे हैं अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम खातेदारी बाबत अमल कराया जावे। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.8.2003 को अपीलार्थी का वाद खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में प्रस्तुत की गई दिनांक 14.1.2004 को राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया, तथा 31.3.2008 को वाद खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा 29.1.2009 को अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया, तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा प्रकरण को सुनवाई में नियत ही नहीं किया गया, दिनांक 19.8.2020 को प्रकरण को पुनःदर्ज कर सुनवाई हेतु नियत किया गया, तत्पश्चात दोनों पक्षों की लिखित बहस जी जाकर 5.1.2021 को निर्णय पारित किया गया तथा वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया व निम्न दस्तावेजों को हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। (1) फसली 1315 मौजा फतेहपुरिया तहसील ब्यावर (2) फसली 1364, 1365 मौजा फतेहपुरिया तहसील ब्यावर (3) फसली 1350 मौजा फतेहपुरिया तहसील ब्यावर (4) फर्द मुताबख्त फसली 1350 मिलान क्षेत्रफल। आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त-आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर ने पक्षकारान के अभिभाषक की लिखिल बहस का अकन करने के उपरांत जो विवेचन प्रदान किया है उक्त विवेचन में 16.3.73 के आदेश के उपलब्ध नहीं होने को अपने निर्णय का आधार बनाया है, जबकि 16.3.1973 के आदेश में दुरूस्ती बाबत खसरा संख्या 665, 666, 671 की दुरूस्ती का विवरण था तथा खसरा संख्या 665 व 666 बाबत दुरूस्ती अभिलेखें में राजस्व विभाग द्वारा कर दी गई तथा खसरा संख्या 671 की दुरूस्ती नहीं की गई, अभिलेखों के संधारण का कर्यु राजस्व विभाग का है, तथा इस आधार पर दुरूस्ती का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। खातेदारी अधिकार अपीलार्थीगण के पूर्वज हजारी हपुत्र लालू के सनफसली

Scanned with CamScanner

1350 में वर्णित थे, तथा उक्त अभिलेख में हजारी पुत्र लालू को खातेदार अंकित किया हुआ था, इसके उपरांत बात के वर्षों का अभिलेख तहसील ब्यावर में उपलब्ध ही नहीं है तथा आगामी जमाबंदी सम्वत 2020 से 2023 में खातेदार के रूप में हजारी का नाम अंकित किया परंतु मोती पुत्र पन्ना को उपकृषक के रूप में अंकित कर दिया तथा इसी प्रकार की प्रविष्टि सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में रही, तत्पश्चात आगामी जमाबंदी में खसरा संख्या 671 के नए खसरा संख्या 798 वर्णित करते हुए खातेदारी बाबत अंकन हजारी के बजाय मोती पुत्र पन्ना के नाम कर दिया, जिसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि खातेदारी अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार है तथा किसी खातेदार के अधिकारों को राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग नया अभिलेख बनाते समय परिवर्तित नहीं कर सकता, खातेदारी अधिकारों के परिवर्तन किसी हस्तांतरण या विधिक आदेश के जरिए ही किया जा सकता है। परंतु न तो राज्य सरकार ने ऐसी कोई वजह या कारण जाहिर किया, जिससे कि खातेदारी अधिकारों में किसी विधिपूर्ण आदेश से परिवर्तन किया गया हो, न ही प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई आधार प्रकट किया जिससे कि खातेदारी अधिकारी में परिवर्तन होना विधि मान्य प्रतित हो। नया अभिलेख बनाते समय त्रुटि पूर्ण अंकन किया गया, उक्त त्रुटि की दुरूस्ती 16.3.73 को किए जाने बाबत आदेश जारी किया गया, तथा 16.3.1973 का आदेश अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं होने से उपलब्ध नहीं भी होता है तो भी हजारी पुत्र लालू की खातेदारी बाबत प्रविष्टि को बिना आधार के परिवर्तित किया गया होने से अपीलार्थीगण का वाद स्वीकार किए जाने योग्य था परंतु विचारण न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री दिनांक 5.1.2021 को पारित की है वह निरस्त योग्य है। सम्वत 2041 के वर्किंग जमाबंदी के अभिलेख को किसी भी प्रकार से वरीयता नहीं दी जा सकती, क्योंकि भू प्रबंध विभाग द्वारा बनाया गया अभिलेख पूर्व प्रविष्टि के समकक्ष नहीं है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा इस बाबत दो लाइन में जो विवेचन किया गया है वह किसी भी प्रकार से विधि सम्वत नहीं है क्योंकि भू प्रबंध विभाग को पूर्व अभिलेख में परिवर्तन करने का तथा खातेदारी अधिकारों को बदलने का अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने यह अंकित करते हुए वाद खारिज कर दिया कि वर्ष 1973 को आदेश पारित होने के बाद वर्ष 2000 तक खातेदारी दर्ज क्यों नहीं करवाई गई यह विवेचन अपीलार्थीगण को न्याय से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया तथा विचारण न्यायालय ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से जो व्यक्ति खातेदार अंकित रहा है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात भी जो व्यक्ति खातेदार के रूप में अभिलेखों में अंकित किया जाता रहा है उसे भू प्रबंध विभाग ने आदेश के द्वारा खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन कर नई प्रविष्टि की है, परंतु ऐसा नहीं कर वाद खाजिर कर निर्णय व डिक्री पारित की है। वर्तमान वाद 16.3.1973 के आदेश के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के कारण दुरूस्ती से संबंधित नहीं था, अपितु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व चले आ रहे खातेदारी अधिकारों की प्रविष्टि में परिवर्तन भू प्रबंध विभाग द्वारा किए जाने के कारण तत्सयम जब भू प्रबंध कार्य चल रहा था उसी दौरान 16.3.1973 के आदेश के द्वारा नए अभिलेख में वर्णित त्रुटि को दुरूस्त कर पूर्व प्रविष्टि बहाल कने से संबंधित था, अर्थात समग्र विवेचन न्यायालय को पक्षकरों के खातेदारी अधिकारों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Scanned with CamScanner

लागू होने से पूर्व प्रचलन में होने की जांच से संबंधित था, जिस पर विचार नहीं कर पूर्व अभिलेखों को नजर अंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज मिथ्या व सदभाविक नहीं होने से उनको कानूनन रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण का निर्णय करने में सहायक नहीं होने से कानूनन दस्तावेज को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के समक्ष राजस्व ग्राम फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर राजस्थान के साबिक खसरा संख्या 671 हाल खसरा संख्या 798 की भूमि का खतेदार घोषित किए जाने हेतु पेश किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तत वाद का आधार तथाकथित आदेश दिनांक 16.3.1973 को वर्णित किया है। ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में ही नहीं आया। वादीगण द्वारा सम्पूर्ण वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है वह आदेश किस प्रकरण में पारित किया गया है एवं ऐसा प्रकरण किस प्रावधान के तहत प्रकरण संस्थित हुआ उपखण्ड अधिकारी का पद विधि के अनुसार सृजित पद है एवं उनके द्वारा किसी भी प्रकरण में कोई भी कार्यवाही विधि अनुसार ही संस्थित की जा सकती है एवं विधि अनुसार ही दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश पारित किया जा सकता है। प्रतिवादी की जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण कभी भी संस्थित ही नहीं हुआ एवं न ही कभी प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया व न ही किसी प्रकार का कोई आदेश पारित किया गया। इस संबंध में वादीगण के कथन कपोल कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी की भूमि हड़पने के लिए न्यायालय के समक्ष आदेश के रूप में फर्जी दस्तावेज कूटरचित किया है एवं इस कूटरचित दस्तावेज का दुरूपयोग कर, यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया है। यह आदेश दिनांक 16.03.1973 अवलोकन मात्र से ही प्रथम दृष्टया फर्जी होना प्रकट हो जाता है। उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा पारित किया गया आदेश, बताया गया जबकि इस तथाकथित आदेश में कार्यालय तहसीलदार, ब्यावर अंकित है। तहसील कार्यालय से उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया जाना संभव ही नहीं है। इस आदेश में उपस्थित विश्वरदयाल एन0टी0 की बताई गई है। इस प्रकार यह दस्तावेज परस्पर विरोधाभासी है। इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा एक पत्र क्रमांक 1720 दिनांक 24.2.2003 तहसीलदार ब्यावर को प्रेषित कर, संबंधित पत्रावली इस न्यायालय में प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार ब्यावर को ऐसी कोई पत्रावली ही उपलब्ध

Scanned with CamScanner

नहीं हुई व ना ही ऐसा कोई आदेश प्राप्त हुआ। उनके द्वारा पत्र क्रमांक 718 दिनांक 03.03.2003 इस न्यायालय को प्रेषित कर, इस तथा कथित ओदश को संदेहास्पद बताया गया। वादीगण का किया गया कथन मिथ्या व सारहीन है कि श्री मोती पुत्र श्री पन्ना राजपूत को इस खसरा नम्बर की भूमि का गलत व गैर कानूनी रूप से अपकृषक दर्ज कर दिया गया हो। यह कथन भी गलत है कि मोती पुत्र पन्ना का कभी कब्जा नहीं रहा हो और उसने कभी काश्त नहीं किया गया हों। इस खसरा नम्बर की भूमि पर 70 वर्षो से अधिका समय से श्री मोती पुत्र श्री पन्ना व प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन लगातार काबिज चले आ रहे है। वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 में भी श्री मोती पुत्र श्री पन्ना का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरी फसली सम्वत 1362 जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व की है, में भी साविक खसरा संख्या 671 बाबत श्री मोती पुत्र पन्ना का नाम ही बतौर काश्तकार दर्ज है एवं इसके बाद भी सभी गिरदावरियों में लगातार श्री मोती पुत्र श्री पन्ना का ही नाम दर्ज है। मोती पुत्र श्री पन्ना ही साबिक खसरा संख्या 671 व हाल खसरा नम्बर 798 का विधिक तौर पर खातेदार हो गया व उसका नाम राजस्व अभिलेख में भी दर्ज हो गया है। वादीगण द्वारा कभी भी लगान व हासिल जमा नहीं करवाया व न ही कोई रसीद प्राप्त की गई। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि साबिक खसरा नम्बर 665, 666 की भूमियां ही उनके नाम दर्ज क्यों कि गई व 671 की भूमियां उनके नाम दर्ज क्यों नहीं की गई। वास्तविकता में सन् 1950 में ही प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पूर्वजों का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा था इस कारण वादीगण व अन्य किसी का नाम दर्ज किया जाना संभव ही नहीं था। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवातिदत भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण उन्हें न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 671 1 बीघा 13 बिस्वा ग्राम फतेहपुरिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर में अवस्थित बाबत खातेदारी उदघोषणा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया कि 1359 सन फसली में वादी के पूर्वज हजारी सिंह पुत्र लालू के नाम दर्ज थी तथा पक्षकारान लोगों के बीच विवाद होने पर उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा उक्त भूमि बाबत जांच कर दिनांक 16.3.1973 को आदेश पारित कर जमाबंदी में नोट लगाए जाने का आदेश प्रदान किया, परंतु राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त खसरा नम्बर बाबत नोट तात्कालीन जमाबंदी में नही लगाया गया तथा उक्त आराजीयात बाबत वादीगण को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाए वादीगण के उक्त राजस्व वाद को जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.3. 2008 में निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर हाजा न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.1.2009 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2008 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ की वे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.3.1973 का अवलोकन कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करे व प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 5.1.2021 पारित किया जबकि विवादित आराजीयात 1315 सन फसली वादी/अपीलांट के पूर्वज लालू वल्द जोधा के नाम तथा सम्वत 1364 लगायत 1365 फसली में उक्त आराजीयात वादी के पूर्वज के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पश्चात उक्त आराजीया बाबत वादीगण/ अपीलांट के पूर्वज उक्त आराजीयात के बाई आपरेशन ऑफ लॉ के तहत खातेदार/काश्तकार हो चुके थे तथा उसी अनुक्रम में उक्त आराजीयात राजस्व कर्मचारी द्वारा मुर्तिब आगे की तथा अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 में भी वादी/अपीलांट के पूर्वजों का नाम काश्तकार के रूप में राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया है, इसप्रकार से विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट के पूर्वज बतौर खातेदार/काश्तकार दर्ज चले आ रहे थे तथा दौराने बंदोबस्त सैटलमेंट विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से त्रुटिवश बिना किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी के आदेश के बिना वादी/अपीलांट की उक्त खातेदारी की आराजीयात के चौसाला नम्बर 671 के नए खसरा नम्बर 798 मुर्तिब कर उसे विधि के विपरीत जाकर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कर दिया जबकि विधिनुसार बंदोबस्त विभाग को पूर्व में प्रचलित जमाबंदी में अंकित खातेदारों के नाम का अंकन ही नई जमाबंदी में किया जाना चाहिए था तथा बंदोंबस्त विभाग को नई जमाबंदी में पुराने खातेदारों के नाम को विलोपित कर अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अनेक निर्णयों में उक्त सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है, इस प्रकार से उक्त प्रकरण में बंदोबस्त विभाग द्वारा वादी/अपीलांट का नाम हजफ कर दिया तथा उक्त समस्त दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थे इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों की अनदेखी उक्त समस्त राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 5.1.2021 पारित किया है जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.3.1973 में भी उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 671 का स्पष्ट रूप से अंकन है तथा उक्त आदेश को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 5.1.2021 में अस्पष्ट व संदिग्ध बताते हुए अपीलांट/वादी का वाद खारिज करते हुए किसी भी प्रकार से विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 5.1.2021 में इस बात का अंकन किया कि विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट/वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है जबकि जमाबंदी सम्वत 1315 एवं अन्य जमाबंदीयों तथा जमाबंदी सम्वत 2024–2027 में वादी/अपीलांट के पूर्वज का नाम स्पष्ट रूप से अंकन किया है जिससे की वादी/अपीलांट का कब्जा काश्त बखूबी साबित होता है,

Scanned with CamScanner

तथा अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात बाबत अपने कब्जे हेतु नगर परिषद ब्यावर द्वारा कर निर्धारण तथा उक्त आराजीयात बाबत विद्युत बिल नगर परिषद ब्यावर की रसीद तथ अपने रहवासी मकानों बाड़े इत्यादित की फोटोप्रति प्रस्तत की है उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त आदेश दिनांक 5.1.2021 पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.1.2021 को निरस्त किया जाता है, इसलिए अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर विवादित आराजीयात ग्राम फतेहपुरिया अवस्थि साबिक खसरा नम्बर 671 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा बारानी–2 नए खसरे नम्बर 798 बाबत अपीलांट को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है तथा संबंधित तहसीलदार ब्यावर को एक निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात बाबत अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम हजफ कर हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना कर अपीलांट का नाम उक्त आराजीयात बाबत बतौर खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज करे।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 47/2020 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2021 को निरस्त जाकर विवादित आराजीयात ग्राम फतेहपुरिया अवस्थित साबिक खसरा नम्बर 671 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा बारानी–2 नए खसरे नम्बर 798 बाबत अपीलांट को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है तथा संबंधित तहसीलदार ब्यावर को एक निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे विवादित आराजीयात बाबत अन्य दीगर व्यक्तियों के नाम हजफ कर हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री की पालना कर अपीलांट का नाम उक्त आराजीयात बाबत बतौर खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज करे, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner